बिहार सरकार
गृह विभाग (विशेष शाखा)
आदेश

ज्ञापांक– जी/आपदा–06–02/2020– 9388   पटना, दिनांक–30 नवम्बर, 2021

दिनांक–29.11.2021 को आपदा प्रबंधन समूह (CMG) की बैठक में राज्य में कोरोना के संक्रमण की स्थिति को नियंत्रण में रखने हेतु विभागीय आदेश संख्या– 9037 दिनांक–20.11.2021 के माध्यम से जारी दिशा निर्देशों को **दिनांक–01.12.2021 से 15.12.2021** तक गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं0–40–3/2020–DM-I(A) दिनांक– 29 जून, 2021 में उल्लेखित कोविड अनुकूल व्यवहार सम्बन्धी National Directives For COVID 19 Management (संलग्न) के अनिवार्य अनुपालन के साथ यथावत् लागू रखने का निर्णय लिया गया।

1. **सभी दुकानें एवं प्रतिष्ठान सामान्य रूप से खुल सकेंगे।**

दुकानों/प्रतिष्ठानों का संचालन निम्नलिखित शर्तों के साथ किया जाएगा:–

- दुकानों/प्रतिष्ठानों में सभी के लिए हमेशा मास्क पहनना अनिवार्य होगा।
- दुकानों/प्रतिष्ठानों के काउंटर पर दुकानदार द्वारा कर्मियों एवं आगंतुकों के उपयोग हेतु सैनिटाईजर की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जाएगी।
- दुकान एवं प्रतिष्ठान परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग मानकों (2 गज की दूरी) का अनुपालन किया जाएगा, जिसके लिए सफेद वृत चिन्हित किए जाएंगे।
- दुकानों/प्रतिष्ठानों में केवल कोविड टीका प्राप्त व्यक्तियों को ही कार्य करने की अनुमति होगी।
- सभी दुकानों/प्रतिष्ठानों को अपने यहाँ कार्यरत कर्मियों का टीकाकरण सुनिश्चित करना होगा तथा उनकी विवरणी सहित सूची संधारित करनी होगी।

उपर्युक्त शर्तों का पालन नहीं किए जाने पर जिला प्रशासन द्वारा अग्रेतर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

2. **शिक्षण संस्थान :–**

क. सभी विश्वविद्यालय, कॉलेज एवं तकनीकी शिक्षण संस्थान, विद्यालय– पहली से बारहवीं कक्षा तक के लिये–सामान्य रूप से खोले जा सकेंगे।

ख. आँगनबाड़ी केन्द्र एवं छोटे बच्चों के विद्यालय (प्री–स्कूल) खोले जा सकेंगे।

ग. ऑनलाइन माध्यम से शिक्षण की व्यवस्था के विकल्प को भी यथासंभव उपलब्ध रखा जाएगा।

घ. सभी सरकारी प्रशिक्षण संस्थान भी सामान्य रूप से खोले जा सकेंगे।

ङ. कस्तूरबा गाँधी बालिका आवासीय विद्यालय तथा अनुसूचित जाति/जनजाति आवासीय विद्यालय/कर्पूरी छात्रावासों का संचालन पूर्व की भाँति अनुमान्य होगा।

च. राज्य सरकार के आयोगों, पर्षद, बोर्डों एवं अन्य समतुल्य संस्थानों तथा राज्य के विश्वविद्यालयों/कॉलेजों/विद्यालयों द्वारा सभी प्रकार की परीक्षाएँ कोविड अनुकूल व्यवहार एवं अद्यतन मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के अनिवार्य अनुपालन के साथ आयोजित की जा सकेंगी।

छ. स्वास्थ्य विभाग शैक्षणिक संस्थानों के वयस्क छात्र–छात्राओं, शिक्षकों एवं कर्मियों के लिए टीकाकरण की विशेष व्यवस्था यथावत् जारी रखेगा।

ज. सभी कोचिंग संस्थान सामान्य रूप से खोले जा सकेंगे। कोचिंग संस्थानों में केवल कोविड टीका प्राप्त व्यक्तियों को ही कार्य करने की अनुमति होगी। सभी कोचिंग

संस्थानों को अपने यहाँ कार्यरत कर्मियों का टीकाकरण सुनिश्चित करना होगा तथा उनकी विवरणी सहित सूची संधारित करनी होगी।

झ. शिक्षा विभाग द्वारा बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सहयोग से सोशल डिस्टेंसिंग एवं मास्क पहनने आदि से संबंधित कोविड अनुकूल व्यवहार की जानकारी बच्चों को दी जायेगी, ताकि उनके माध्यम से अभिभावकों को भी जागरूक किया जा सके।

3. सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार का आयोजन जिला प्रशासन की पूर्वानुमति तथा कोविड अनुकूल व्यवहार एवं अद्यतन मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के अनिवार्य अनुपालन के साथ किया जा सकेगा। जिला प्रशासन को आयोजन में अनुमान्य व्यक्तियों की अधिकतम संख्या के निर्धारण का अधिकार होगा।

4. विवाह समारोहों का आयोजन कोविड अनुकूल व्यवहार एवं अद्यतन मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के अनिवार्य अनुपालन के साथ किया जा सकेगा, किन्तु इनमें डी0 जे0 एवं बारात जुलूस की इजाजत नहीं होगी। विवाह की पूर्व सूचना स्थानीय थाने को कम–से–कम 03 दिन पूर्व देनी होगी। अंतिम संस्कार/श्राद्ध कार्यक्रम भी कोविड अनुकूल व्यवहार एवं अद्यतन मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के अनिवार्य अनुपालन के साथ आयोजित किए जा सकेंगे।

5. सभी पार्क एवं उद्यान सामान्य रूप से खुल सकेंगे। संबंधित पार्क का प्रबंधन यह सुनिश्चित करेगा कि आगंतुकों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग तथा मास्क पहनने आदि से संबंधित कोविड अनुकूल व्यवहार एवं अद्यतन मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) का अनिवार्य अनुपालन किया जाए।

6. सभी धार्मिक स्थल सामान्य रूप से खुल सकेंगे। संबंधित धार्मिक स्थल का प्रबंधन यह सुनिश्चित करेगा कि वहाँ आने वाले श्रद्धालुओं द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग तथा मास्क पहनने आदि से संबंधित कोविड अनुकूल व्यवहार एवं अद्यतन मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) का अनिवार्य अनुपालन किया जाए।

7. सभी प्रकार के सामाजिक/राजनीतिक/मनोरंजन/खेल–कूद/शैक्षणिक/ सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन जिला प्रशासन की पूर्वानुमति तथा कोविड अनुकूल व्यवहार एवं अद्यतन मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के अनिवार्य अनुपालन के साथ आयोजित किए जा सकेंगे।

8. राजगीर में अवस्थित कुण्ड भी आम जनता के निमित्त खुले रहेंगे। कुण्ड में स्नान हेतु आने वाले व्यक्तियों की रैपिड एण्टीजन टेस्ट के माध्यम से जाँच कराई जाएगी। इस जाँच से वैसे व्यक्ति मुक्त रहेंगे, जिनके पास विगत 72 घंटों का RTPCR निगेटिव जाँच रिपोर्ट उपलब्ध हो। जिला प्रशासन को आयोजन में अनुमान्य व्यक्तियों की अधिकतम संख्या के निर्धारण का अधिकार होगा।

9. सभी सिनेमा हॉल दर्शकों की कुल क्षमता की 50% के उपयोग के साथ सामान्य रूप से खुल सकेंगे। सिनेमा हॉल का प्रबंधन यह सुनिश्चित करेगा कि आगंतुक दर्शकों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग तथा मास्क पहनने आदि से संबंधित कोविड अनुकूल व्यवहार एवं अद्यतन मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) का अनिवार्य अनुपालन किया जाए।

10. सभी शॉपिंग मॉल कोविड अनुकूल व्यवहार एवं अद्यतन मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के अनिवार्य अनुपालन के साथ सामान्य रूप से खुल सकेंगे।

11. क्लब, जिम एवं स्विमिंग पूल कुल क्षमता के 50% उपस्थिति के साथ खुल सकेंगे। स्टेडियम (इंडोर सहित) और स्पोर्ट्स काम्पलेक्स खोले जा सकेंगे। किन्तु उपर्युक्त सुविधाओं का उपयोग केवल कोविड टीका प्राप्त (vaccinated) व्यक्तियों के लिए अनुमान्य होगा। सम्बन्धित प्रतिष्ठान यह सुनिश्चित करेगा कि उनके सभी कर्मी कोविड टीका ले चुके हों।

सम्बन्धित प्रतिष्ठान का प्रबंधन यह भी सुनिश्चित करेगा कि आगंतुकों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग तथा मास्क पहनने आदि से सम्बन्धित कोविड अनुकूल व्यवहार एवं अद्यतन मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) का अनिवार्य अनुपालन किया जाए।

12. रेस्टोरेंट एवं खाने की दुकानों का संचालन आगंतुकों की बैठने की कुल क्षमता के अधिकतम 50% उपयोग के साथ अनुमान्य होगा। सम्बन्धित प्रतिष्ठान यह सुनिश्चित करेगा कि उनके सभी कर्मी कोविड टीका ले चुके हों।

13. सभी सरकारी कार्यालय एवं गैर–सरकारी कार्यालय सामान्य रूप से खुलेंगे। सरकारी कार्यालयों में केवल कोविड टीका प्राप्त (vaccinated) आगंतुकों का प्रवेश अनुमान्य होगा। न्यायिक प्रशासन के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा लिया गया निर्णय प्रभावी होगा।

14. सार्वजनिक परिवहन में निर्धारित बैठने की क्षमता के 100% के उपयोग की अनुमति रहेगी। किन्तु खड़े होकर तथा बस की छत पर बैठकर यात्रा की अनुमति नहीं होगी।

15. सार्वजनिक एवं निजी वाहनों में सभी के लिए हमेशा मास्क पहनना अनिवार्य होगा। इनका पालन नहीं करने पर उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी।

16. स्वास्थ्य विभाग द्वारा इस अवधि में कोविड संक्रमण की स्थिति पर विशेष निगरानी रखी जाएगी तथा कोविड जाँच की संख्या में निर्धारित मानकों के अनुरूप वृद्धि सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही वैसे राज्यों, जहाँ अभी भी कोरोना संक्रमण के ज्यादा मामले आ रहे हैं अथवा डेल्टा प्लस वैरिएण्ट के मामले सामने आ रहे हैं, से वायुयान, रेल, ट्रकों एवं अन्य वाहनों के माध्यम से राज्य में प्रवेश करने वाले यात्रियों की अनिवार्य रूप से राज्य की सीमाओं, रेलवे स्टेशनों एवं हवाई अड्डों पर रैपिड एण्टीजन टेस्ट के माध्यम से जाँच कराई जाएगी। इस जाँच से वैसे व्यक्ति मुक्त रहेंगे, जिनके पास विगत 72 घंटों का RTPCR निगेटिव जाँच रिपोर्ट उपलब्ध हो।

17. जिला पदाधिकारी स्थानीय परिस्थितियों की समीक्षा कर उपर्युक्त प्रतिबंधों के अतिरिक्त एवं अधिक सख्त प्रतिबंध लगा सकेंगे, किन्तु किसी भी परिस्थिति में उपर्युक्त प्रतिबंधों को शिथिल नहीं किया जा सकेगा।

18. कोरोना के तीसरे लहर के आगमन की संभावनाओं को देखते हुए आपदा प्रबंधन समूह द्वारा स्थिति पर सतत् निगरानी रखी जाएगी। सोशल डिस्टेंसिंग तथा मास्क पहनने आदि से संबंधित कोविड अनुकूल व्यवहार का व्यापक प्रचार–प्रसार कराया जाएगा और जिला प्रशासन द्वारा कड़ाई से अनुपालन भी कराया जाएगा।

19. उपर्युक्त प्रावधानों के अतिरिक्त राज्य में कोविड–19 के नवीन वैरिएण्ट Omicron के प्रसार को रोकने हेतु स्वास्थ्य विभाग द्वारा निम्न कार्रवाई की जाएगी –

i. **अन्तर्राष्ट्रीय उड़ान के बाद बिहार आने वाले यात्रियों की विशिष्ट रूप से जाँच कराई जाए एवं वैसे देश जहाँ नये Variant Omicron से पीड़ित मरीज पाए गए हैं, वहाँ के यात्रियों को आगमन के उपरान्त क्वारंटीन में रखने पर भी विचार किया जाए।**

ii. **भारत सरकार द्वारा हाल ही में विदेश से आये बिहार राज्य के यात्रियों की सूची भेजी है। अगले दो दिनों में उन सभी को ट्रैक कर जाँच कराई जाए तथा आवश्यकतानुसार उन्हें Isolation में डालने की कार्रवाई की जाए।**

iii. **सभी हवाई जहाज के यात्रियों की कोरोना की जाँच निश्चित रूप से करायी जाए। इस जाँच से वैसे व्यक्ति मुक्त रहेंगे, जिनके पास विगत 72 घंटों का RTPCR निगेटिव जाँच रिपोर्ट उपलब्ध हो।**

iv. **कोरोना की जाँच की संख्या में कमी नहीं लाई जाए और 2 लाख से अधिक जाँच प्रतिदिन होती रहनी चाहिए।**

v. **टीकाकरण की रफ्तार को जारी रखा जाए।**

vi. **अस्पतालों की व्यवस्था, विशेषकर ऑक्सीजन एवं ICU की उपलब्धता की पुनः समीक्षा कर ली जाए। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि प्रशिक्षित तकनीकी कर्मी तैयार हालत में हों।**

vii. **आम लोगों में मास्क एवं सामाजिक दूरी के संबंध में जागरूकता का अभियान पुनः चलाया जाए और प्रशासन को इस पर सख्ती भी करने का निदेश दिया जाए।**

जिला प्रशासन भीड़–भाड़ वाले स्थलों, यथा– सब्जी मंडी, बाजार आदि तथा सार्वजनिक वाहनों में सोशल डिस्टेंसिंग तथा मास्क पहनने आदि से सम्बन्धित कोविड अनुकूल व्यवहार एवं अद्यतन मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) का सख़्त अनुपालन कराना सुनिश्चित करेगा। यदि किसी स्थान/बाजार/प्रतिष्ठान में निरंतर निर्देशों के उपरान्त भी उपर्युक्त का अनुपालन नहीं किया जा रहा हो, उन्हें अस्थायी रूप से बन्द करने के साथ अन्य सख़्त कार्रवाई की जा सकती है।

विभिन्न अनुमान्य गतिविधियों हेतु भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट मानक संचालन प्रक्रियाओं (SOPs) के सम्बन्ध में गृह विभागीय पत्रांक– 5797 दिनांक– 25.08.2021 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

सभी जिला पदाधिकारी उपर्युक्त कंडिकाओं में वर्णित आदेशों के अनुपालन हेतु दं0प्र0सं0 की धारा 144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा निर्गत करेंगे।

उपरोक्त आदेशों का उल्लंघन करते हुए पाए जाने पर संबंधित के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51–60 एवं भा.द.वि. की धारा 188 के प्रावधानों के अंतर्गत दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी।

अनुलग्नक – यथा वर्णित।

30/11/21

(त्रिपुरारि शरण)
मुख्य सचिव, बिहार।

ज्ञापांक– जी/आपदा–06–02/2020– 9388 **पटना, दिनांक–**30**नवम्बर, 2021**

प्रतिलिपि– सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/उप–महानिरीक्षक/सभी जिला पदाधिकारी/सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक– जी/आपदा–06–02/2020– 9388 **पटना, दिनांक–**30**नवम्बर, 2021**

प्रतिलिपि– मुख्य सचिव/विकास आयुक्त/पुलिस महानिदेशक/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, निर्वाचन विभाग, बिहार/माननीय मुख्यमंत्री के सचिव, बिहार, पटना को कृपया सादर सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक– जी/आपदा–06–02/2020– 9388 **पटना, दिनांक–**30**नवम्बर, 2021**

प्रतिलिपि– गृह सचिव, भारत सरकार, नई दिल्ली को कृपया सादर सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव।